# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 113/2016

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| गिरधारीराम पुत्र उजीणराम जाति जाट निवासी छीला तहसील व जिला नागौर। | | 1भगवानाराम 2दूरजाराम 3मंगाराम पुत्रान रूपाराम 4धापू पत्नि स्व. रूपाराम जातियान जाट निवासीगण छीला तहसील व जिला नागौर 5तहसीलदार, नागौर। |

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दिनेश हेडा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः 05.02.18

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा बंटवाडा आदेश दिनांक 29.10.2001 से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.07.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु को विचाराधीन रखते हुए दिनांक 18.07.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपने अपील के समर्थन में ग्राम पंचायत छीला की मिसल सं. 48/01 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 13.07.2014 की फोटोप्रति पेश की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस शुरू करते हुए अपनी अपील व मियाद प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलांट अनपढ व वृद्व तथा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 पढे लिखे व चतुर व चालाक व्यक्ति है। जिन्होने मौके से भिन्न गलत बंटवाडा बताकर गलत बंटवाडा पर अपीलांट को बिना कोई जानकारी दिये ही अंगुष्ठ निशान करवा लिया गया तथा अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 पर विश्वास करते हुए अपने अंगुष्ठ निशान कर दिया तथा फिर अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की तरफ कोई ध्यान नही दिया अब रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 अन्य सहयोगियों को साथ लेकर दिनांक 01.07.16 को अपीलांट के बंट सुदा व कब्जा सुद खेत खसरा नं. 180 व 199 पर आये और कहा कि खसरा नं. 180 में आपका कोई किसी तरह का हक व अधिकार नही है। संपूर्ण खेत हमारे खातेदारी में है तथा खसरा नं. 199 में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि हमारी खातेदारी में दर्ज है। हम जबरन लाठी के बल पर कब्जा छुडायेंगे और हम कब्जा करेंगें तब अपीलांट के पुत्र ने राजस्व रेकर्ड की तरफ ध्यान दिया और दिनांक 04.07.16 को नागौर आकर बंटवाडा आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर 05.07.16 को नकल मिलने पर उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी होते ही जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की है। जिसे अंदर मियाद सुमार मानी जाना उचित व न्याय संगत है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2006(2) पेज 1112 से 1116, आरआरटी 2012(1) पेज 658 से 661, आरआरटी 2013(1) पेज 473 से 475, आरआरटी 2017(1) पेज 415 से 419 तथा आरआरटी 2017(2) पेज 1104 से 1107 नजीरें प्रस्तुत की है।

{2}(II)–रेस्पोडेन्ट बहुत ही अधिक चालाक व चतुर व पढे लिखे व्यक्ति है तथा अपीलांट को हक व अधिकारों से वंचित रखने व उनके हक व अधिकारों की भूमि को हडपने की नीयत से गलत रूप से बंटवाडा बताकर आवेदन पत्र पेश कर दिया गया तथा रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के वृद्व अवस्था व अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए मौके पर जो रकबा कम था। उस भूमि को अपीलांट के बंट में रख दिया और



अपर कलक्टर, नागौर

उसमें से ही 3 बीघा 10 बिस्वा बंट व हक अधिकारों में बताकर बंटवाडा करवा लिया गया। जिससे अपीलांट के बंट में तो मात्र 57 बीघा भूमि रही है। लेकिन खसरा नं. 199 का रकबा खतोनी में 81 बीघा 1 बिस्वा दर्ज होने से उसका नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 ने गलत तरीके से बंटवाडा करवाया गया है। जबकि खसरा नं. 199 का रकबा मौके पर मात्र 60 बीघा 8 बिस्वा ही रहता चला आया है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवाडा से अपीलांट को हक व अधिकारों से वंचित रहना पडा और रेस्पो. ने उक्त गलत रेकर्ड का व अपीलांट की वृद्वावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने हक व अधिकारों में अधिक भूमि की खातेदारी दर्ज करवा ली गई और अपीलांट के बंट में जो मौके पर कम रकबा था। उस भूमि को बंट में बताकर बंटवाडा करवाया गया। ऐसी स्थिति में बंटवाडा गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)–खसरा नं. 180 व 199 व 198 का बंटवाडा करने से पूर्व किसी तरह की जांच नही की और न ही मौके पर किसी तरह का नाप चोप किया। बिना जांच किये व बिना नाप चोप किये ही गलत रूप से बंटवाडा बताकर अपीलांट को धोखे में रखकर अपीलांट के अंगुष्ठ निशान करवाकर अपीलांट के हक व अधिकारों की भूमि को हडप लिया। जबकि खसरा नं. 199 में किसी भी भू भाग पर रेस्पो सं. 1 से 4 का कोई किसी तरह का कब्जा नही था और न ही बंट था। फिर भी खसरा नं. 199 में से 3 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के बंट में भूमि बताकर बंटवाडा करवाया गया है। जबकि मौके पर शुरू से लेकर आज दिन तक खसरा नं. 180, 199 व 198 की कुल भूमि 134 बीघा 9 बिस्वा ही रहती चली आयी थी। इस भूमि के हिसाब से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 व अपीलांट काबिज काश्तकार रहते चले आये है तथा खसरा नं. 199 रकबा 60 बीघा 8 बिस्वा पूरा व खसरा नं. 198 रकबा 6 बिस्वा पूरा अपीलांट के बंट व कब्जा काश्त में तथा खसरा नं. 180 रकबा 74 बीघा 1 बिस्वा में से 6 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट के बंट व कब्जा काश्त में रहता चला आया है। क्योंकि खसरा नं. 199 की भूमि मौके पर 60 बीघा 8 बिस्वा ही है और खतोनी मे ज्यादा दर्ज हो रखी है। जिसका रेस्पो सं. 1 से 4 ने नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट को हक व अधिकारों से वंचित रखा गया है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्तनीय हैं।

{2}(IV)–रेस्पो सं. 1 से 4 ने पहले से ही अपीलांट के साथ धोखाधडी छल कपट करके हक व अधिकारों से वंचित रखने की योजना बना रखी थी तथा रेस्पो भगवानाराम ने ही दिनांक 28.10.01 को स्टांप क्रय किया है तथा फिर रेस्पो ने गलत बंटवाडा लिखकर बंटवाडा करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया और अपीलांट अनपढ व वृद्व व्यक्ति होने का नाजायज फायदा उठाते हुए गलत बंटवाडा पर अंगुष्ठ निशान करवा लिया गया और अपीलांट के बंट में मौके पर कम रकबा वाला खेत रखकर अपने बंट में अधिक भूमि रखी गई है तथा खसरा नं. 180 की भूमि अधिक है और खसरा नं. 199 की भूमि कम है। फिर भी तहसीलदार व पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर न तो कोई जांच की और न ही कोई नाप चोप किया। अगर बंटवाडा से पहले मौके पर जाकर जांच कर लेते व कब्जा के संबंध में जांच करते तो सारी स्थिति सामने आ जाती। लेकिन बिना कोई जांच किये ही व बिना कोई नाप के ही बंटवाडा आदेश पारित हुआ। जिससे अपीलांट को हक व अधिकारों से वंचित रहना पडा है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(V)–बंटवाडा हेतु जो आवेदन पत्र पेश हुआ है। उसकी पत्रावली सं. 48 दर्ज हो रखी है तथा पत्रावली सं. 48 मे जो बंटवाडा की लिखापढी स्टांप पर हो रखी है। वह स्टांप पत्रावली सं. 58/2001 में प्रस्तुत किया हुआ स्टांप शामिल किया हुआ है। ऐसी स्थिति में जो बंटवाडा लिखापढी हो रखी है। वह भी संदेहप्रद है। ऐसी स्थिति में भी जैरअपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(VI)–अब अपीलांट के सुनने में आया है कि अपीलांट के पुत्रों ने खसरा नं. 199 का अपने स्तर पर तहसीलदार पटवारी हल्का से नाप चोप करवया तो नाप चोप में खसरा नं. 198 व 199 की कुल भूमि 60 बीघा 14 बिस्वा ही मौके पर स्थित है। जिससे स्पष्ट होता है कि रेस्पो सं. 1 से 4 ने अपीलांट को हक व अधिकारों से वंचित रखने की गरज से गलत बंटवाडा बताकर गलत बंटवाडा करवाया गया है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VII)–उपरोक्त बंटवाडा को अगर सही माना जाता है तो मौके पर अपीलांट के बंट में मात्र 57 बीघा 4 बिस्वा भूमि ही रहती है और रेस्पो सं. 1 से 4 के बंट में 77 बीघा 11 बिस्वा रहती है। जिससे अपीलांट को हक व अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये वंचित रहना पडेगा और रेस्पो सं. 1 से 4 ने गलत राजस्व रेकर्ड में अपीलांट अनपढ होने व वृद्व होने का नाजायज फायदा उठाया गया है। ऐसी स्थिति में जैर अपील बंटवाडा आदेश निरस्तनीय है।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलांट अनपढ, वृद्व व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के तथ्य गलत है बल्कि अपीलांट गिरधारीराम अनपढ अवश्य है, परंतु एक समझदार व विवेकशील व्यक्ति है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 भगवानराम, रेस्पोडेन्ट सं. 4 धापू अनपढ व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 मगाराम केवलमात्र दूसरी, तीसरी कक्षा पढा हुआ व्यक्ति है, केवल रेस्पोडेन्ट सं. 2 दूरजाराम मात्र पांचवी कक्षा तक पढा लिखा व्यक्ति है, जो कि न तो पूर्ण रूप से पढे लिखे है, न ही चतुर एवं चालाक है। मौके से भिन्न गलत बंटवाडा बताकर अपीलांट के अंगूठा निशान कर दिये हो, यह गलत है। आज से करीब 33–34 वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्टस के पिता व पति रूपाराम जी का देहान्त हो गया था तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 अव्यस्क थे एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 एक अनपढ महिला थी तथा घर में मुखिया रूपाराम के भाई गिरधारीराम ही था और आज से 15–16 वर्ष पूर्व स्वयं गिरधारीराम ने परिवार के मुखिया होने के नाते दिनांक 29.10.01 को प्रशासन गांवों के संग शिविर में तहसीलदार के समक्ष सहमति से मौके पर बंट अनुसार बंटवाडा के लिये आवेदन पेश किया था तथा उस समय उपस्थित सभी राजस्व अधिकारियों के द्वारा दोनो पक्षों को बंटवाडा बताते हुए विधिवत बंटवाडा किया था, जिसमें अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। इसलिये अपीलांट को बिना जानकारी दिये अंगूठा निशान करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है, क्योंकि उक्त बंटवाडा स्वयं तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित व आदेशित किया गया है तथा अपीलांट ने यह कही नही बताया कि तहसीलदार ने उसको बिना जानकारी दिये ही बंटवाडा का आदेश कर दिया हो। दिनांक 01.07.16 को अपीलांट के कब्जासुद खसरा नं. 180 व 199 पर आकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 ने लाठी के बल पर कब्जा छुडाने की बात सही नही है। दिनांक 05.07.16 को नकले मिलने पर बंटवाडा की जानकारी हुई हो, ऐसा नही है। बल्कि अपीलांट ने स्वयं ने यह माना है कि दिनांक 29.10.01 को उनके द्वारा राजीनामा के जरिये बंटवाडा आदेश शिविर में हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जानकारी होने की पुष्टि स्वयं अपीलांट के कथनानुसार है। जहां तक अपने बंट की भूमि की जानकारी 15 साल तक नही होने के तथ्यों का प्रश्न है, उक्त तथ्य अपने आप में ही संदेहास्पद एवं झूठे प्रतीत होते है, क्योकि पिछले 15–16 वर्षो में कभी भी अपीलांट के द्वारा अपने भूमि की जमाबंदी की नकल नही ली हो और मौके पर 15 साल में अपीलांट को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने कहा ही नही हो, यह कहानी अपने आप में ही झूठी प्रतीत होती है। पूर्व में जो बंटवाडा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य हुआ था, परंतु अब अपीलांट की नियत रेस्पोडेन्ट की भूमि को गलत प्रकार से हडप करने की हुई है और इस कारण यह गलत तथ्यों के आधार पर अपील अत्यन्त ही विलम्ब से प्रस्तुत की है। जिस समय उक्त शिविर आयोजित होकर बंटवाडा आदेश किया गया था, उस समय भगवानराम की आयु महज 23–24 साल की थी और वह पूर्णतया अनपढ व्यक्ति है, जो केवल हस्ताक्षर करना जानता है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की आयु 20 वर्ष से भी कम थी और रेस्पोडेन्ट धापू भी अनपढ महिला है तो उनके द्वारा चालाकी से गलत बंटवाडा करवाने की बात अपने आप में ही झूठी प्रतीत होती है, इसके विपरीत परिवार का मुखिया स्वयं गिरधारीराम अपीलांट ही था और अपने छोटे भाई रूपाराम के देहान्त के पश्चात रेस्पोडेन्ट को उनके बंट की भूमि मौके अनुसार उनके नाम दर्ज करवाने के लिये उसने सहमति से बंटवाडा किया था, जो विधि अनुसार ही हुआ था, इसके अलावा बंटवाडा शिविर में चालाकी से होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है, क्योकि इस आवेदन में तहसीलदार के द्वारा बंटवाडा प्रमाणित करने और आदेश जारी करने में क्या अनियमितता रही, के संबंध में कोई तथ्य इस आवेदन में उल्लेखित नही किये है। अपीलांट की उक्त अपील 15 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया समय बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है।



अपर कलक्टर, नागौर

{4}–रेस्पोडेन्ट सं. 5 के विद्धान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि दोनो पक्षों ने आपसी सहमति से बंटवाडा किया है। अब इतने विलम्ब के बाद अपील में आये है। जिससे मियाद के बिन्दु पर भी अपील चलने योग्य नही है। आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम छीला के खसरा नं. 180, 199 व 198 की भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत तहसीलदार नागौर के द्वारा बंटवाडा आदेश दिनांक 29.10.01 से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 06.07.16 को प्रस्तुत की गई है। अपील करीब 15 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट 15 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहे हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नही है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{7}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर